दिल्ली, नोएडा, साहिबाबाद, मुरादनगर, मोदीनगर, लोनी, मेरठ, हापुड़ से एक साथ प्रसारित

विशेष खबर

हर खबर की रखे खबर

विशेष खबर visheshkhabar

• वर्ष: • 2 अंक: 13
पृष्ठ : 8
गाजियाबाद
01 से 15 नवम्बर-2019
मूल्य: 10 रुपये
पाक्षिक समाचार पत्र

पेज-02 पुलिस अगर पिटती रहेगी तो कहां रहेगी कानून व्यवस्था ?

visheshkhabarvk@gmail.com

RNI: UPHIN/2017/74151

अन्दर के पेजों पर
3 ऑड-ईवन की दिल्ली में कितनी जरूरत?
4 पूजा-पाठ से शांत होती है राहु-केतु की दशा
5 महापौर कैंप कार्यालय का विरोध बेमानी
8 महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तय!

वनवास से घर लौटे प्रभु श्री राम

अयोध्या में ही बनेगा भगवान राम का भव्य मंदिर | सुप्रीम कोर्ट फैसले से मंदिर निर्माण का रास्ता साफ | मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए मिलेगी जमीन | विवादित जमीन केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगी

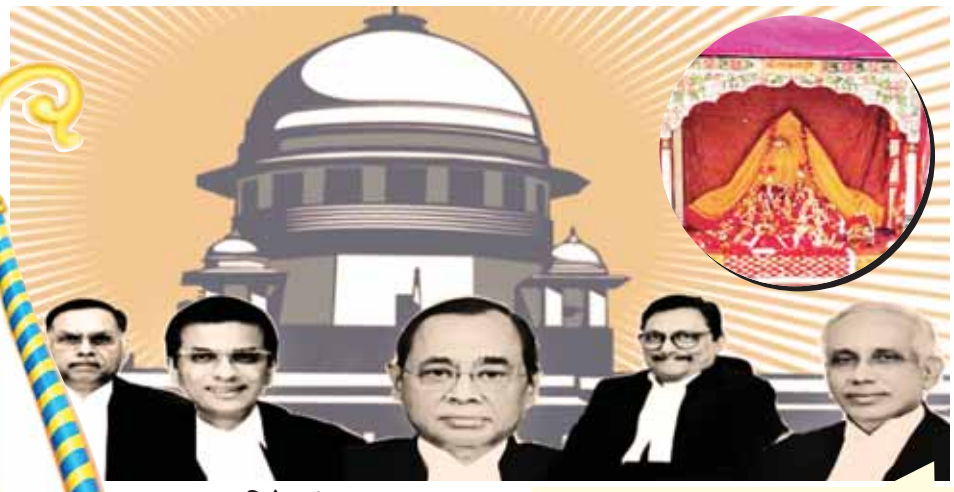

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली। अयोध्या में विवादित जमीन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे लग रहा है, जैसे राम वनवास काटकर वापिस अयोध्या लौट आए हो। शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दी जाए, मंदिर निर्माण के लिए 3 महीने में ट्रस्ट बने और इसकी योजना तैयार की जाए। चीफ जस्टिस ने मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया, जो कि विवादित जमीन की करीब दोगुना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि ढहाया गया ढांचा ही भगवान राम का जन्मस्थान है और हिंदुओं की यह आस्था निर्विवादित है।

संविधान पीठ द्वारा 45 मिनट तक पढ़े गए 1045 पन्नों के फैसले ने देश के इतिहास के सबसे अहम और एक सदी से ज्यादा पुराने विवाद का अंत कर दिया। चीफ जस्टिस गोगोई, जस्टिस एसए बोबोडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने स्पष्ट किया कि मस्जिद को अहम स्थान पर ही बनाया जाए। रामलला विराजमान को दी गई विवादित जमीन का स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 हिस्सों में बांटी थी जमीन

2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या का 2.77 एकड़ का क्षेत्र तीन हिस्सों में समान बांट दिया जाए। एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरा निमोर्ही अखाड़ा और तीसरा रामलला विराजमान को मिले। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 14 याचिकाएं दाखिल की गई थीं।

संविधान पीठ के न्यायाधीश

अयोध्या मामले पर सुनवाई कर रही पांच जजों की संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा इस बेंच में जस्टिस एसए बोबोडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस अब्दुल नजीर शामिल रहे।

206 साल पहले विवाद सामने आया

1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया, उसी के बाद यह दावा किया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब ह्यअयोध्या रीविजिटेडह्ल में इस वाक्ये का जिक्र करते हुए लिखा है कि 1813 में मस्जिद की शिलालेख के साथ जब छेड़छाड़ हुई, तब से यह कहा जाने लगा कि मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। कुणाल ने किताब में लिखा है कि मंदिर 1528 में नहीं तोड़ा गया, बल्कि औरंगजेब द्वारा नियुक्त फिदायी खान ने 1660 में उसे तोड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 40 दिन सुनवाई की

2011 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस विवाद से जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद पर लगातार 40 दिन तक सुनवाई हुई। 16 अक्टूबर 2019 को हिंदू-मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनने के बाद पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

फैसले से खुश नहीं मुस्लिम पक्षकार

सुन्नी वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। लेकिन, इस फैसले के बाद उसके बाद रिव्यू पेटिशन दाखिल करने का विकल्प बचता है और उसके बाद आखिरी विकल्प क्यूरेटिव पेटिशन है। गौरतलब है कि क्यूरेटिव पेटिशन पर भी बेंच सुनवाई जारी भी रख सकता है और इसे खारिज भी कर सकता है। इस पर फैसला होने के बाद मुकदमा पूरी तरह खत्म हो जाता है।

अयोध्या विवाद 1526 से अब तक

1526: इतिहासकारों के मुताबिक, बाबर इब्राहिम लोदी से जंग लड़ने 1526 में भारत आया था। बाबर के सूबेदार मीरबाकी ने 1528 में अयोध्या में मस्जिद बनवाई। बाबर के सम्मान में इसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया।

1853: अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में साम्प्रदायिक हिंसा भड़की। हिंदू समुदाय ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई।

1949: विवादित स्थल पर सेंट्रल डोम के नीचे रामलला की मूर्ति स्थापित की गई।

1950: हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की।

1959: निमोर्ही अखाड़े ने विवादित स्थल पर मालिकाना हक जताया।

1961: सुन्नी वक्फ बोर्ड (सेंट्रल) ने मूर्ति स्थापित किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अर्जी लगाई और मस्जिद व आसपास की जमीन पर अपना हक जताया।

1981: उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जमीन के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर किया।

1885: फैजाबाद की जिला अदालत ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की महंत रघुबीर दास की अर्जी ठुकराई।

1989: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित स्थल पर यथास्थिति बरकरार रखने को कहा।

1992: अयोध्या में विवादित ढांचा ढहा दिया गया।

2002: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचे वाली जमीन के मालिकाना हक को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।

2010: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2:1 से फैसला दिया और विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निमोर्ही अखाड़ा और रामलला के बीच तीन हिस्सों में बराबर बांट दिया।

2011: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई।

2016: सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण की इजाजत मांगी।

2018: सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद को लेकर दाखिल विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।

6 अगस्त 2019: सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अपीलों पर सुनवाई शुरू की।

16 अक्टूबर 2019: सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई।

संपादकीय

पुलिस अगर पिटती रहेगी तो कहां रहेगी कानून व्यवस्था?

विनीतकांत पाराशर

ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है कि पुलिस के साथ धींगामुश्ती के बाद वकील हड़ताल कर देते हैं और पुलिस को बीच बचाव से काम चलाना पड़ता है। जब वकील पुलिस का यह हाल करते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमियों को कैसे उनके सामने भीगी बिल्ली बनकर रहना पड़ता होगा। जिस मोहल्ले में ऐसे वकील रहते होंगे, उन मोहल्ले वालों का क्या हाल होता होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस खेहर ने तभी एक बार छोटी अदालतों के वकीलों की इसी तरह की हरकतों से तंग आ कर यहाँ तक कह चुके हैं कि सुप्रीमकोर्ट को बंद कर देना चाहिए।

कैतीस हजारी कोर्ट में वकीलों और दिल्ली पुलिस के बीच हुई झड़प ने देश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वकीलों से आए दिन झड़प के बाद दिल्ली पुलिस का बैकफुट पर आना भी इस बार प्रदर्शन के रूप में उबाल बनकर फूटा है। इस झड़प के बाद एक सवाल यह भी लोगों के दिलों में कोई नहीं लगा है कि आखिर बुद्धिजीवी वर्ग में शामिल वकीलों को एक सड़क छाप गुंडे की तरह आगजनी और मारपीट जैसी घटनाएं करना कितना शोभा देता है? क्या नियमों का पालन कराने में जुटी सुरक्षा एजेंसी के नुमाइंदों से बुद्धिजीवी वर्ग से टकराव किसी भी स्थिति में सही है? अगर हर आदमी वकीलों की तरह सुरक्षा एजेंसियों से पेश आएगा तो क्या देश में अराजकता जैसे हालात पैदा नहीं हो जाएंगे? यह वह सवाल है जो तीस हजारी कोर्ट में भी झड़प के बाद लोगों के दिलों में घर कर गए हैं और इस पूरे प्रकरण में लोगों का समर्थन दिल्ली पुलिस को मिल रहा है।

दो नवम्बर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में एक वकील की पार्किंग को लेकर की गई धींगामुश्ती का बवाल अब पूरी दिल्ली में फैल गया है। ऐसे अनेक वीडियो सामने आए हैं जिनसे वकीलों का व्यवहार जनता को देखने को मिला है। ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है कि पुलिस के साथ धींगामुश्ती के बाद वकील हड़ताल कर देते हैं और पुलिस को बीच बचाव से काम चलाना पड़ता है। जब वकील पुलिस का यह हाल करते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमियों को कैसे उनके सामने भीगी बिल्ली बनकर रहना पड़ता होगा। जिस मोहल्ले में ऐसे वकील रहते होंगे, उन मोहल्ले वालों का क्या हाल होता होगा। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस खेहर ने तभी एक बार छोटी अदालतों के वकीलों की इसी तरह की हरकतों से तंग आ कर यहाँ तक कह चुके हैं कि सुप्रीमकोर्ट को बंद कर देना चाहिए।

वकीलों के अलावा दिल्ली पुलिस भी किसी से नहीं डरती। इसलिए बाकी तो कोई भी हो, लोगों के साथ पुलिस का व्यवहार पशुओं से बरताव जैसा होता है। पुलिस की छवि समाज के हर नागरिक का खून चूसने वाली बन चुकी है। पुलिस थाने लूट के अड्डे के रूप में इमेज बनाए हुए है। दिल्ली के कुछ थाने तो ऐसी कमाई वाले माने जाते हैं कि जितने किस्से सुने कम लगेंगे। थानों में नियुक्तियां थानेदार भारी रिश्वत दे कर करवाते हैं। ट्रेफिक पुलिस को सड़क पर खड़ा देख कर कानून का पालन करने वाला व्यक्ति भी रास्ता बदल लेता है। अच्छी कमाई के चक्कर में दिल्ली पुलिस के जवान मोटी रिश्वत देकर ट्रेफिक पुलिस में डेपुटेशन पाते हैं। इस सबसे अंदाज लगा सकते हैं कि पुलिस में कितना भ्रष्टाचार फैला है। यानी हालत यह है कि वकील और पुलिस में लाठी की ताकत को लेकर सेर सवा सेर की लड़ाई है। दोनों एक दूसरे की औकात जानते हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। बावजूद इसके इस बार वकीलों ने सडकों पर उतर कर वीडियों फुटेज में अपने को जैसी हरकतों के साथ दिखाया है उससे आम जनता में उनकी छवि पुलिस से ज्यादा खराब बनी है। इससे आम जनता की सहानुभूति पुलिस के साथ बन गई है। इस कारण पुलिस में हिम्मत आई और वे पहली बार पुलिस वाले, उनके परिवारजन खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए सडकों पर उतरे हैं।

ऐसे मौके कई बार आ चुके हैं जब वकीलों की गलती होने के बावजूद गृह मंत्रालय के दबाव में पुलिस को झुकना पड़ा है, लेकिन यह पहली बार हुआ है कि पुलिस कमिश्नर के झुकने से पहले ही पुलिस कर्मी उन्हें दबाव में ले आए हैं। जितने भी वीडियों सामने आए हैं उन सभी से लगता है कि कानून की रक्षा करने वाले कानूनदानों ने कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा की। हालांकि न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है लेकिन न्यायिक जांच भी वकीलों के दबाव का शिकार हो सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह उन सभी वकीलों की शिनाख्त करवाए जो किसी भी तरह की हिंसा और आगजनी में शामिल थे और कार्रवाई करनी चाहिए। देश, समाज और वक्त का तकाजा है कि वकील और पुलिस तो कम से कम कानून की मयार्दा, गरिमा में व्यवहार करें।

बाल-गोपाल

हमने बच्चों के मनोरंजन एवं ज्ञान वृद्धि के लिए पहेली और शब्द/नंबर की मिलान प्रतियोगिता सुडकू शुरू कर चुके हैं। इस प्रतियोगिता में पांच से लेकर 12 साल के बच्चे हिस्सा ले सकते है। प्रतियोगिता में विशेष खबर परिवार के किसी भी सदस्य की प्रविष्टि मान्य नहीं होगी। प्रतियोगिता में सही प्रविष्टि के 10 विजेताओं को उचित पारितोषित दिया जाएगा। जिनका चयन ड्रा से होगा।

सुडोकू

					6		8	
		9	1		5	3	7	2
	8		7				1	6
							3	4
			3	5	1			
7	3							
6	1				8		2	
8	2	3	9		4	6		
	7		6					

अंक-12 में हमने आपसे चार पहेली और सुडोकू की प्रतियोगिता रखी थी, जिसके सही जवाब ये है..... इस बार की पहेली और सुडोकू को सुलझाएं तो मानें

1- आपकी पलके
2- गर्मी
3- कदम
4- घड़ी

8	4	6	9	3	7	1	5	2
3	1	9	6	2	5	8	4	7
7	5	2	1	8	4	9	6	3
2	8	5	7	1	3	6	9	4
4	6	3	8	5	9	2	7	1
9	7	1	2	4	6	3	8	5
1	2	7	5	9	8	4	3	6
6	3	8	4	7	1	5	2	9
5	9	4	3	6	2	7	1	8

पहेलियां

1

खाना कभी नहीं खाता वह,
और न पीता पानी।
उसकी बुद्धि के आगे तो,
हार माने हर ज्ञानी।

2

पानी से में पैदा होता,
उजला मेरा रंग।
स्वाद बढ़ाता घुलमिल
करके मैं भोजन के संग।

3

खिलाड़ियों का महाकुंभ यह
कहलाता,
चार वर्षों के अंतराल से यह
आता।

4

काला है पर काग नहीं,
कहें नाग पर सांप नहीं।
एक हाथ पर पैर चार,
बतलाओ न कर सोचविचार।

ऑड-ईवन की दिल्ली में कितनी जरूरत?

क्या ऑड-ईवन फामूर्ले से कम हुई दिल्ली की आबोहवा?

संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऑड-ईवन फामूर्ला फिर से लागू होने के बाद सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने इसे महज चुनावी स्टंट तो कांग्रेस ने इसे जनसमस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने का हथकंडा बताया है। वहीं, आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना की है। इस सियासी ड्रामे के बीच सवाल ये है कि इस बार जिस तरीके से दिल्ली के लोग ऑड-ईवन को नकार रहे हैं, उससे क्या ये समझा जाए कि दिल्ली में इसकी कोई जरूरत नहीं थी?, और ऑड-ईवन को केवल राजनीतिक फायदे के लिए लागू किया गया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने खुद का प्रचार करने के सिवाय दिल्ली का प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं किया। प्रदूषण रोकने के लिए ठोस उपाय तो केंद्र सरकार ने किए लेकिन केजरीवाल इसका श्रेय लेने की कोशिश करते रहे हैं। अब प्रदूषण के नाम पर ऑड-ईवन लागू करके दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हैं। मनोज तिवारी ने ऑड-ईवन को भ्रष्टाचार करने का एक माध्यम करार दिया है। तिवारी न कहा कि एक्सप्रेस वे बनने के बाद करीब 60 हजार भारी वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बंद हो गया। इससे प्रदूषण में कमी आई है। तिवारी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल की झूठ, फरेब की राजनीति अब दिल्ली में चलने वाली नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखाएगी।

दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि ऑड-ईवन योजना चुनाव से पहले का पब्लिसिटी स्टंट है। इस फैसले के लिए दिल्ली सरकार ने कोई ठोस अध्ययन नहीं कराया है। आप सरकार मनमाने ढंग से प्रदूषण और इससे निपटने के तरीकों को राजनीतिक चश्मे से देख रही है। उन्होंने कहा कि सक्षम जन यातायात प्रणाली के अभाव में इस योजना से दिल्ली के लोगों को भारी परेशानी होगी।

ऑड-ईवन योजना पर कांग्रेस भी हमलावर

दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन योजना पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस भी हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हारून यूसुफ ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार का ऑड-ईवन लागू करने का फैसला दिल्ली की जनता को प्रभावित करने वाली अन्य समस्याओं से ध्यान भटकाने को हथकंडा है। केजरीवाल को जादूगर करार देते हुए युसूफ ने कहा कि उनके पास दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर उनके पास कोई जवाब नहीं है। यूसुफ के मुताबिक, 2016 में लागू ऑड-ईवन पर चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन इससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर नीचे नहीं लाया जा सका। यूसुफ ने सवाल किया कि केजरीवाल पिछले तीन वर्षों से इस मसले पर चुप क्यों थे?

दूसरी तरफ कार्यकारी अध्यक्ष राजेश लिलोठिया ने कहा कि ऑड-ईवन स्कीम से दिल्ली में वायु प्रदूषण में कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ 14 फीसदी वायु प्रदूषण वाहन यातायात से होता हैं, जबकि 56 प्रतिशत प्रदूषण धूल से। राजेश लिलोठिया ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण रोधी शुल्क के रूप में दिल्ली में प्रवेश करने के लिए प्रति वाहन 700 से 2500 रुपये एकत्र कर रही है और इस प्रकार दिल्ली सरकार ने लगभग 1500 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए हैं। लिलोठिया ने केजरीवाल से पूछा कि उस पैसे से केजरीवाल सरकार ने क्या किया।

आप ने योजना की तारीफ की

आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने की यह मुहिम दिल्ली की जनता की है। वहीं, पार्टी ने तंज कसा कि विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से सात शहर भाजपा शासित सरकार के अधीन है। आप प्रवक्ता आतिशी ने बताया कि बीते दस सालों में दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 25 फीसदी कम हुआ है। उन्होंने हैरानी जाहिर की कि मनोज तिवारी दिल्ली में ऑड इवन लागू करने की जरूरत ही नहीं मानते। इस तरह का नकारात्मक रवैया ठीक नहीं है।

सर्दी आने से पहले ही क्यों जागता है सरकारी तंत्र?

प्रदीप वर्मा
वरिष्ठ संवाददाता

दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण का विकराल रूप बता रहा है कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के दावे खोखले है। केंद्र से लेकर राज्य सरकारें और उनकी तमाम एजेंसियों के साथ एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तक प्रदूषण पर लगाम लगाने के जतन करते रहे, लेकिन सब को नाकामी ही मिली। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने की एक बड़ी वजह यह है कि उसके मूल कारणों को समझने और उनका निवारण करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है। ऐसा तब है, जब बीते करीब एक दशक से वायु प्रदूषण एक खतरे के रूप में चित्रित हो रहा है। यह शासन व्यवस्था की नाकामी का नमूना ही है कि वायु प्रदूषण की चिंता केवल सर्दियों में ही की जाती है। क्या शेष समय उत्तर भारत का वायुमंडल साफ-सुथरा रहता है? जो भी हो, तमाम कवायद के बाद भी वायु प्रदूषण का बढ़ता स्तर एक तरह से जीने के अधिकार पर आघात ही है।

जब हरियाणा और पंजाब के साथ देश के कुछ अन्य हिस्सों में फसलों के अवशेष जलाए जाने लगते हैं, तब इसकी चिंता की जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक इस सवाल की तह तक जाने की दिखावटी कोशिश होती है, तब तक फसलों के बचे-खुचे अवशेष भी जलाए जाने लगते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। यह लज्जा की बात है कि हरियाणा और पंजाब की सरकारें एक बार फिर ऐसे प्रबंध नहीं कर सकीं कि किसान पराली न जलाने पाएं। इन दोनों राज्य सरकारों के नाकारापन के सामने केंद्र सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी कुल मिलाकर असहाय ही साबित हुए।

ऐसा नहीं है कि केवल फसलों के अवशेष जलाने से ही प्रदूषण की समस्या सिर उठाती हो, लेकिन जब उनका धुआं सड़कों और निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और वाहनों के उत्सर्जन से मिलता है तो वह सेहत के लिए जानलेवा स्मॉग में तब्दील हो जाता है। निःसंदेह दीपावली के दौरान पटाखे दागे जाने के कारण भी वायुमंडल खराब होता है, लेकिन केवल उन्हें ही जिम्मेदार ठहराना समस्या का सरलीकरण करना ही है। इस बार तो कहीं कम पटाखे चलाए गए, लेकिन प्रदूषण का स्तर कहीं अधिक गंभीर हो गया। स्पष्ट है कि समस्या की जड़ में शासन-प्रशासन का निठल्लापन ही है।

पूजा-पाठ से शांत होती है राहु-केतु की दशा

आचार्य निशांत भारद्वाज
(मो.- 9528425099)

ज्योतिष के अनुसार कुंडली में यदि सूर्य-केतु या सूर्य-राहु एक साथ बैठे हो। या एक दूसरे को देख रहे हों, कुंडली के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नवें, और दसवें भावों में से किसी एक भाव में हो, तो इस तरह की कुंडली वाले व्यक्ति को पितृ दोष होता हैं। कुंडली के जिस भाव में ये योग होता है, उससे संबंधित अशुभ फल ही ज्यादा मिलेंगे। जैसे- यदि सूर्य-राहु अथवा सूर्य-केतू एक साथ पहले घर में हो, तो उस व्यक्ति को शांति नहीं मिलती। कोई गुप्त चिंता लगी रहती है। वैवाहिक एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती है, क्योंकि कुंडली का पहला घर लग्न कहा जाता है और यह शरीर को इंगित करता है।

दूसरे घर में हो तो धन संबंधी और कुटुंब से संबंधित परेशानी जैसे- आपसी कलह, मतभेद व आर्थिक समस्या होती है। तीसरे घर में होने से अपने परिश्रम का फल नहीं मिलता। पराक्रम में कमी आती है। भाई बहन से मतभेद रहते हैं। चौथे घर में हो तो भूमि, भवन वहां का सुख नहीं मिलता। यदि होते भी है तो जल्दी खराब रहते है। माता के सुख में कमी आती है। माता बीमार रहती है। पाचवें घर में हो तो बुद्धि मलिन हो जाती है। विद्या पूरी होने में बाधा व संतान सुख में कमी होती है। छठें घर में होने से छुपे हुए शत्रु परेशान करते है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते है। सातंवे घर में हो तो यह शादी और व्यापार में व साझेदारी व्यापार में परेशानी देता है। आठवें घर में होने से पिता से मतभेद रहता है। पैतृक संपत्ति नहीं मिलती। आयु क्षीण रहती हैं। नौवें घर में हो तो यह सटीक पितृ दोष होता है और भाग्य की हानि करता है। किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। दसवें घर में हो तो व्यापार व नौकरी में बाधा आती है। सरकारी काम नहीं होते है। ग्यारहवें भाव में और बारहवें भाव में होने पर बने बनाये कार्य बिगड़ जाते है। कमाई से खर्च अधिक होने पर आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है।

इसी प्रकार की ग्रह स्थिति होने पर अचानक वाहन के कारण दुर्घटना, प्रेत पीड़ा, बुखार, नेत्र रोग, उन्नति में रुकावट या बनते कार्यों में रुकावट, अपयश, धनहानि व मानसिक रोग आदि अनिष्ट फल प्राप्त होते है। पितृ दोष दो तरह से परेशान करता है-

1- अधोगति वाले पितरों के कारण

2- उर्ध्वगति वाले पितरों के कारण

अधोगति वाले पितरों की पीड़ा का कारण परिजनों द्वारा किया गया गलत व्यवहार, अतृप्त इच्छाओं, जायदाद में मोह और उसका गलत लोगों द्वारा उपभोग होने पर, विवाहिक मांगलिक कार्यो में परिजनों द्वारा उपेक्षा, परिवार के किसी व्यक्ति को परेशान करने से पितृ नाराज हो जाते है। परिवार जनों को श्राप दे देते है और परिवार जनों को दुख दे देते है।

उर्ध्वगति वाले पितृ दोष नहीं करते परन्तु उनका किसी भी रूप में अपमान होने पर अथवा परिवार के किसी भी रीति रिवाजों का निर्वाहन नहीं करने पर ये नाराज हो जाते है। इनके द्वारा उत्पन्न पितृ दोष से व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है। फिर चाहें कितने भी प्रयास क्यों न किये जायें, शांति नहीं मिलती।

शांति के कुछ सरल उपाय :-

1- किसी विद्वान आचार्य से नारायण बलि एवं पितृ गायत्री मंत्र के सवा लाख जप और इनका दशांश हवन करने से लाभ मिलता है। पितरों को शान्ति मिलती हैं।

2- हर शनिवार को मछलियों और कौवों को चावल और घी मिलाकर बनाये लड्डू खिलायें।

3- प्रत्येक शनिवार को सूर्योदय से पहले कच्चा दूध काले तिल नियमित रूप से पीपल के पेड़ मैं चढ़ाये।

4- पीपल का वृक्ष लगाकर उसकी श्रद्धा पूर्वक देखभाल करने से भी पितृ दोष शांत हो जाता है।

5- प्रत्येक अमावस्या को गाय, कुत्ते ,कौवा को रोटी खिलाने से भी शान्ति मिलती है।

6- श्राद्ध पक्ष में प्रतिदिन पितरों को जल और काले तिल अर्पण करने से पित्र प्रसन्न होते है।

7- हर अमावस्या को भिखारी को भोजन और वस्त्र धन आदि से संतुष्ट करने से भी शांति मिलती है।

8- रोजाना सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्यदेव को नमस्कार करके यज्ञ करने से शांति मिलती है।

9- अपने घर के बुजुर्ग व्यक्तियों का सम्मान, विप्रो का सम्मान करने से भी शांति मिलती है।

10- प्रतिदिन अपने इष्ट देवता की पूजा करना तथा गाय, कुत्ते, कौवा को भोजन कराने से। ही शांति मिलती है।

गुरुनानक देव की 550वीं जयंती पर विशेष

ईमानदार और मेहनती इंसान को पसंद करते थे गुरु नानक देव

अमन राजपूत
स्वतंत्र लेखक

सिख धर्म के संस्थापक गुरुनानक देव की 550वीं जयंती इस वर्ष 12 नवंबर को मनाई जाएगी। नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पंजाब के तलवंडी में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में हैं। इस जगह को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक का जन्म माता तृप्ता और कृषक पिता कल्याणचंद के घर हुआ था। गुरु नानक की शिक्षाएं आज भी सही रास्ते में चलने वाले लोगों का मार्ग दर्शन कर रही हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक और नानक देव, बाबा नानक और नानक शाह जी जैसे नामों से संबोधित करते हैं। कई चमत्कारिक घटनाओं की वजह से ये 7-8 साल की उम्र में ही काफी प्रसिद्ध हो गए थे। आइए गुरु नानक जयंती से उनके चर्चित प्रसंगों पर प्रकाश डालते हैं-

चर्चित प्रसंग के अनुसार एक बार गुरुनानक देव एक गांव गए, वे वहां कुछ दिन के लिए रुक गए। ये बात आसपास के क्षेत्र में फैल गई कि एक दिव्य महापुरुष हमारे क्षेत्र में आए हैं। वहां एक धनी व्यक्ति भी रहता था, जो कि बेईमानी करके धनवान बना था। वह धनी व्यक्ति गरीबों किसानों से अनुचित लगान वसूलता और उनकी फसल भी हड़प लेता था। जब उस धनी व्यक्ति को नानकजी के बारे में पता चला तो वह उन्हें अपने महल में बुलाना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने एक गरीब के छोटे से घर को ठहरने के लिए चुना।

गरीब व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरुनानक का बहुत अच्छी तरह आदर-सत्कार किया। नानक देव भी उसके घर में रूखी-सूखी रोटी खाते थे। जब धनी व्यक्ति को ये बात पता चली तो उसने एक बड़ा भोज आयोजित किया। उसने इलाके के सभी बड़े लोगों के साथ गुरु नानकजी को भी निमंत्रित किया।

गुरुनानक ने उसका निमंत्रण ठुकरा दिया। ये सुनकर धनी व्यक्ति क्रोधित हो गया। उसने अपने सेवकों को गुरुनानक को अपने यहां लाने का आदेश दिया। जब उसके सेवक नानकदेव को उसके महल ले कर आए तो धनी व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी मैंने आपके ठहरने का बहुत बढ़िया इंतजाम किया था। कई सारे स्वादिष्ट व्यंजन भी बनवाए, फिर भी आप उस गरीब के यहां सूखी रोटी खा रहे हैं, ऐसा क्यों?

गुरुदेव ने कहा कि मैं तुम्हारा भोजन नहीं खा सकता, क्योंकि तुमने गलत तरीके से कमाई की है। जबकि उस गरीब की रोटी उसकी ईमानदारी और मेहनत की कमाई है। गुरुजी की ये बात सुनकर धनी व्यक्ति बहुत क्रोधित हो गया। गुरुजी से इसका सबूत देने को कहा। गुरुजी ने गरीब के घर से रोटी का एक टुकड़ा मंगवाया।

धनी व्यक्ति के यहां क्षेत्र कई लोग उपस्थित थे। उनके सामने गुरुजी ने एक हाथ में गरीब की सूखी रोटी और दूसरे हाथ में धनी व्यक्ति की रोटी उठाई। गुरुनानक ने दोनों रोटियों को हाथों में लेकर जोर से दबाया। गरीब की रोटी से दूध और धनी व्यक्ति की रोटी से खून टपकने लगा।

धनी व्यक्ति अपने दुष्कर्मों का सबूत देख नानकदेव के चरणो में गिर गया। गुरुजी ने उसे गलत तरीके से कमाई हुई सारी धन-दौलत गरीबों में बांटने को कहा। ईमानदार बनने की सलाह दी। धनी व्यक्ति ने गुरुनानक की बात मान ली।

महापौर कैंप कार्यालय का विरोध बेमानी

कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन बेकार की...

विशेष खबर संवाददाता

गाजियाबाद। महापौर आशा शर्मा गाजियाबाद की पहली ऐसी मेयर बन गई हैं जिन्हें सरकारी बंगला यानि कैंप कार्यालय नसीब हुआ है। हालांकि कैंप कार्यालय की राह में सबसे ज्यादा उनके ह्यअपनोंह्न ने ही विरोध किया है। केलिन व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो हो-हल्ला करने वालों का विरोध बेमानी है, क्योंकि ये व्यवस्था अकेले आशा शर्मा के लिए नहीं हुई है, बल्कि भविष्य में बनने वाले महापौरों के लिए भी है। खासकर ऐसे 'प्रथम नागरिक' के लिए जिसके पास आगंतुकों को बैठाने के लिए न तो जगह हो और न मकान। ऐसी स्थिति में उसे कैंप कार्यालय का ही सहारा होगा। फिलहाल पार्षदों में यह इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बोर्ड बैठक में पास होने के बाद अब भाजपा के ही ज्यादातर पार्षदों की आंखों में मेयर का बंगला खटक रहा है।

महापौर आशा शर्मा ने अपने कविनगर स्थित निजी घर से राजनगर सेक्टर-पांच में कोठी नंबर-48 में शिफ्ट हो गई हैं। नगर निगम ने इस मकान को 72 हजार रुपये मासिक किराये पर लिया है। वर्ष 1995 में नगर निगम का गठन हुआ था। वर्ष 1996 में पहली बार चुनाव हुआ। दिनेश गर्ग शहर के पहले मेयर चुने गए। तब से अब तक कई मेयर के कार्यकाल में कैंप कार्यालय बनाने की आवाज उठती रही। वर्तमान बोर्ड की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ। उसे आधार बनाकर निगम ने राजनगर में मेयर कैंप कार्यालय बनाया है। कई बोर्ड बैठकों में चर्चा के बाद यह प्रस्ताव पारित हुआ था। 100 पार्षद कैंप कार्यालय बनाने को लेकर एकमत नहीं थे। ज्यादातर चाहते थे कि यह बने। कुछ पार्षदों का मत था कि कैंप कार्यालय बनाना नियम विरुद्ध है। नगर निगम अधिनियम में इसका प्रावधान नहीं है।

शासन से अनुमति तक खुद दूंगी किराया: आशा शर्मा

गाजियाबाद की महापौर आशा शर्मा का कहना है कि मेयर कैंप कार्यालय फिलहाल यह किराए पर है। इसकी अनुमति के लिए शासन को भेजा गया है। जब तक किराए की अनुमति शासन से नहीं मिलती, तब तक मैं स्वयं इसकी किराया वहन करूंगी। यहीं नहीं मैं अपने कार्यकाल में स्थायी कैंप कार्यालय का निर्माण कराऊंगी। जिससे आने वाले मेयरों को सुविधा हो।

एक्ट के खिलाफ हैं रेंटल कैंप कार्यालय : लव

कैंप कार्यालय का अब काफी विरोध हो रहा है। वार्ड-39 के भाजपा पार्षद हिमांशु लव ने नगर विकास मंत्री को मेयर कैंप कार्यालय बनाने की शिकायत भेजी है। उन्होंने कहा है कि नगर निगम अधिनियम में मेयर के कैंप कार्यालय का प्रावधान नहीं है। पार्षद लव का दावा है कि एक्ट के मुताबिक, मेयर कैंप ऑफिस के लिए नगर निगम बिल्डिंग किराए पर लेकर नहीं दे सकता है। कैंप ऑफिस के लिए फर्नीचर, फ्रीज, एसी, एलसीडी, आदि पर पैसा खर्च करने के लिए एक्ट में कोई भी प्रावधान नहीं है। इसके लिए निगम को यूपी सरकार से पहले अनुमति लेनी चाहिए। इसके बाद ही मेयर कैंप ऑफिस की सुविधा दी जा सकती है। अधिनियम से हटकर इस कार्यालय के लिए भवन किराए पर लेना गलत है। अधिनियम की धारा 18 में मेयर को मिलने वाली सुविधाओं का जिक्र है।

हाईकोर्ट करेगा फैसला : सैफी

कांग्रेस पार्षद जाकिर सैफी ने कहा है कि नगर निगम में दोहरी नीति अपनाई जा रही है। बोर्ड बैठक में शहीदों की विधवाओं का हाउस, सीवर और वाटर टैक्स माफ करने का निर्णय हुआ था। उस पर अब तक अमल नहीं हुआ। मेयर कैंप कार्यालय बनाने के बोर्ड के निर्णय पर झटपट अमल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नगर निगम अधिनियम के विरूद्ध यह कैंप कार्यालय बनाया गया है। इस मामले में वह जल्द हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं इसका फैसला होगा।

निगम एक्ट में बोर्ड सर्वोपरि : मिश्रा

नगर निगम के अकाउंट अफसर एके मिश्रा ने कहा कि निगम के लिए बोर्ड सर्वोपरि है। गत दिनों निगम बोर्ड की बैठक में पहले मेयर आवास बनाने के लिए प्रस्ताव आया था। इसके लिए जो जगह बोर्ड के कुछ सदस्यों ने बताई थी, उन पर फिलहाल आवास बनाना संभव नहीं है। इन जगहों को लेकर कुछ तकनीकी दिक्कत थी। इसके बाद बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास किया गया कि मेयर को निगम अपने खर्च पर कैंप ऑफिस उपलब्ध कराए। निगम के लिए बोर्ड ही सर्वोपरि है, उसमें पास हुए प्रस्ताव के आधार पर ही निगम मेयर को कैंप ऑफिस उपलब्ध कराया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि इसके लिए निगम को शासन से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

भाजपा पार्षद अजयवीर ने हिमांशु लव को लिखा कड़ा पत्र

गाजियाबाद। मेयर कैंप कार्यालय को लेकर पार्षद हिमांशु लव द्वारा की जा रही बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के दूसरे पार्षदों को रास नहीं आ रही है। जिसके चलते अब पार्षदों के बीच भिड़ंत की नौबत आ खड़ी हुई है। वार्ड-46 से भाजपा के पार्षद अजयवीर सिंह ने इस मामले में हिमांशु लव को एक कड़ा पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने हिमांशु लव को पार्टी की लाइन पर काम करने की नसीहत दी है और बयानबाजी से बचने का सुझाव दिया है।

भाजपा पार्षद अजयवीर सिंह ने पार्षद हिमांशु लव को लिखे पत्र में कहा है कि पिछले काफी समय से आप प्रतिदिन मेयर के कैम्प कार्यालय के बारे में बयान दे रहे है और आप यह व्यक्तव्य नगर निगम अधिनियम को बिना पढ़ें दे रहे है। उन्होंने कहा कि महापौर को किराए पर कैंप कार्यालय उपलब्ध कराने का फैसला पूरे सदन का था, लेकिन ध्वनिमत से पास हुए इस निर्णय में भी आपने विरोध किया, जो पार्टी विरोधी गतिविधि की श्रेणी में आता है। आप सत्तापक्ष के पार्षद है, लेकिन विपक्ष की तरह बात करने की आदत है और आप इससे पहले भी भाजपामंत्रियों और नेताओं पर भी आरोप लगाते रहते है।

आपने तो तत्कालीन नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार खन्नापर भी भ्रष्टाचार का आरोप खुलेआम लगाया था। जबकि आपको थोडा अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आपके बारे में भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सार्वजनिक हो जाए तो इसमें पार्टी की बदनामी होगी।अच्छा होता कि आप नगर निगम में भ्रष्टाचार पर प्रश्न चिन्ह लगाते? अच्छा होता कि आप भूमाफियाओं द्वाराआज कब्जा की हुई भूमि पर कुछ बोलते? अच्छा होता कि आप शहर के विकास और स्वच्छता के बारे में कुछ बोलते? इसलिए आप जरा अपनी वाणी में सांस रखें और अगर आपको कुछ बोलना है तो सदन की बैठक में अथवाआमने-सामने बैठकर बोलिए।

दिल्ली भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता नवीन कुमार ने कहा

सबसे प्रदूषित व भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हुई है। जिसको लेकर मुख्य राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली में इस बार किन–किन मुद्दों पर चुनाव होगा? कौन किस पर भारी पड़ेगा? दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने अब तक क्या काम किया? इसको लेकर विशेष खबर के समाचार संपादक प्रदीप वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश प्रवक्ता नवीन कुमार से बातचीत की। पेश हैं बातचीत के कुछ अंश :

5 साल में फ्री की घोषणाओं को छोड़कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पांच काम भी दिल्ली में नहीं किए। उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। दिखावा, प्रपंच और विज्ञापनों पर 850 करोड़ का खर्च करके दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम किया है। केजरीवाल ने जितनी भी रियायती घोषणा की है, वह 31 मार्च 2020 तक ही वैलिड है। यानी 6 महीने घोषणाएं लागू करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है।

नवीन जी, देश के ज्यादातर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी जल्द चुनाव होने वाले हैं। आप मौजूदा केजरीवाल सरकार के कार्यकाल पर क्या टिप्पणी करेंगे?

प्रदीप जी, दिल्ली में झूठ और फरेब का नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चलता। केजरीवाल सरकार ने 5 साल तक दिल्ली पर राज किया है। इससे पहले 1 साल उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाई थी और दिल्ली की जनता ने 70 में से 67 सीटें देकर उन्हें इसलिए भारी बहुमत दिया, क्योंकि जनता दिल्ली में कुछ बदलाव चाहती थी। केजरीवाल ने कांग्रेस के सभी बड़े लीडर्स चाहे वक्त कलमाड़ी हो या फिर कमलनाथ सबको जेल भेजने की बात कही थी। जनता को उम्मीद थी कि भ्रष्टाचारी लोगों को केजरीवाल ही सलाखों के पीछे पहुंचा सकते हैं, लेकिन 5 साल में जिस तरह से केजरीवाल ने काम किया, उससे उनकी छवि सबसे प्रदूषित और भ्रष्टाचारी के रूप में उभरी है। 5 साल में फ्री की घोषणाओं को छोड़कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पांच काम भी दिल्ली में नहीं किए। उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी हैं। दिखावा, प्रपंच और विज्ञापनों पर 850 करोड़ का खर्च करके दिल्ली की जनता को भ्रमित करने का काम किया है। केजरीवाल ने जितनी भी रियायती घोषणा की है, वह 31 मार्च 2020 तक ही वैलिड है। यानी 6 महीने घोषणाएं लागू करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है।

आने वाले विधानसभा चुनावों में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे?

भारतीय जनता पार्टी का मकसद दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को विकास की तरफ ले जाने का है भाजपा की मंशा 6 महीने फ्री बिजली देने की नहीं है बल्कि लोगों को सस्ती बिजली देने की है दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना हमारा उद्देश्य रहेगा केजरीवाल सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने की वजह उसको कमजोर करने का काम किया है डीटीसी के पास अब केवल 3:30 हजार बसें हैं जो पहले की तुलना में ढाई हजार कम है भाजपा की कोशिश रहेगी कि दिल्ली में 10000 बसें डीटीसी की चलें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत हो इसके साथ ही मेट्रो का विस्तार तेजी से किया जाएगा जिसके परमिशन के लिए केजरीवाल सरकार लगातार अड़ंगा लगा रही है। एजुकेशन सिस्टम के नाम पर हो रही लूट को बंद करके शिक्षण कार्य को मजबूत किया जाएगा। मौजूदा सरकार एजुकेशन सिस्टम के नाम पर एक कमरा बनवाने के लिए 25-25 लाख रुपए खर्च कर रही है जो सीधे-सीधे भ्रष्टाचार है। मोहल्ला क्लीनिक के नाम पर पार्कों को पर कब्जा कर लिया गया है, जबकि क्लीनिक में डॉक्टर बैठते ही नहीं। भाजपा की सरकार बड़े अस्पतालों की संख्या बढ़ाएगी और उनमें बेड भी बनाए जाएंगे ताकि मरीजों को परेशानी का सामना न करना पड़े। भाजपा का उद्देश्य दिल्ली की जनता को स्वच्छ वातावरण देना है।

पिछले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी केवल 3 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। ऐसी स्थिति में जबकि केजरीवाल सरकार ने रियायती घोषणाएं करके अपने वोट बैंक को मजबूत किया है, भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के सामने कहां स्टैंड करती है?

दिल्ली की जनता ने बड़े विश्वास के साथ केजरीवाल को भारी बहुमत के साथ जिताया और हम 3 सीटों पर सिमट कर ले गए। लेकिन उसके बाद दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया। चाहे उपचुनाव हो या नगर निगम व लोकसभा के चुनाव। आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। मेरा मानना यह है कि 'अलीबाबा चालीस चोरों' की मंडली की विदाई का समय आ गया है। अब चाहे वह कितनी भी रियायत की घोषणा कर लें, जनता इनके जाल में आकर भ्रमित होने वाली नहीं है।

दिल्ली में चल रहे हैं ऑड-ईवन को लेकर केजरीवाल सरकार का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को राहत नहीं पूछना चाहती, इसलिए इसका विरोध कर रही है और भाजपा नेता नियम का उल्लंघन कर रहे हैं इस पर आप क्या कहेंगे?

दिल्ली सरकार ने ऑड-ईवन नियम लागू किया है, वह पूरी तरह से व्यावहारिक नहीं है। दिल्ली के सीएनजी वाहनों को ऑड-ईवन में छूट नहीं दी गई है। जबकि ओला और उबर से करोड़ों रुपए लेकर टैक्सियां चलवाई जा रही है। भाजपा नेता विजय गोयल अगर अपनी सीएनजी से जा रहे थे तो वह क्या वह गलत है? क्या सीएनजी प्रदूषण पैदा करती है? उन गाड़ी वालों का क्या दोष है, जिन्होंने अपनी गाड़ी में सीएनजी लगा रखी है और केजरीवाल ने उन्हें घरों के अंदर बंद कर दिया है। इस नियम को लागू करके केजरीवाल लोगों को काम धंधा चौपट कर रहे हैं। पिछले 5 साल में केजरीवाल ने विज्ञापन के नाम पर 1560 करोड रुपए तो खर्च कर दिए, लेकिन प्रदूषण कम करने के लिए कोई काम नहीं किया। केजरीवाल चाहते तो पिछले सेस के नाम पर इकट्ठा किए गए 1500 करोड़ रुपए से 1800 इलेक्ट्रिक बसें 3 साल पहले दिल्ली में आ जाती। केजरीवाल प्रदूषण कम करने के बजाय एनजीटी में लाखों रुपए जुमार्ने के रूप में जमा किए हैं, जो जनता की गाढ़ी कमाई है।

हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसकी क्या वजह है? क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर खत्म हो गई है?

देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भारत को आगे ले जाने में जिस तरह से जुटे हुए हैं, उसका हर कोई कायल है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ क्षेत्रीय मुद्दे वे जातिगत समीकरण भी चुनावों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में यह कहना कि मोदी लहर खत्म हो गई है, बिल्कुल सही नहीं है। चुनाव में उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिले, उसके कई कारण हो सकते हैं। लेकिन मोदी जी देश की दशा और दिशा सुधारने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं और अपने प्रयास में निरंतर जुटे हुए हैं।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं?

दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच की झड़प बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस का काम नियमों का पालन कराने का है और वकील कानून के ज्ञाता हैं। ऐसे में झड़प के दूसरे दिन पुलिस से मारपीट करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर इस तरह से पुलिस से व्यवहार होगा, तो कानून व्यवस्था कहां रहेगी। रही बात जिम्मेदारी की तो पूर्व जस्टिस इस मामले की जांच कर रहे हैं और जल्दी वह अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट को देंगे?। इस मामले में मैं इतना कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण को राजनीतिक हवा दी जा रही है और इसे वकीलों और पुलिस को समझना चाहिए। दोनों को एक साथ मिलकर दिल्ली के हालात को ठीक करना चाहिए।

विकासवाद की दुश्मन खैरात की राजनीति

प्रणव गोस्वामी
वरिष्ठ पत्रकार

भारतीय राजनीति में खैरात बांटने एवं मुफ्त की सुविधाओं की घोषणाएं करके मतदाताओं को ठगने एवं लुभाने की कुचेष्टाओं का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए अरविन्द केजरीवाल भी ऐसी ही घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरह की बेतुकी एवं अतिश्योक्तिपूर्ण घोषणाएं एवं आश्वासन राजनीति को दूषित करते हैं, जो न केवल घातक है बल्कि एक बड़ी विसंगति का द्योतक हैं। किसी भी सत्तारुढ़ पार्टी को जनता की मेहनत की कमाई को लुटाने के लिये नहीं, बल्कि उसका जनहित में उपयोग करने के लिये जिम्मेदारी दी जाती है। इस जिम्मेदारी का सम्यक निर्वहन करके ही कोई भी सत्तारुढ़ पार्टी या उसके नेता सत्ता के काबिल बने रह सकते हैं। कहां गया विकासवाद का परचम, देश को विकसित देशों की श्रेणी में कतारबद्ध खड़ा करने की सोच? पार्टियां जिस तरह अपनी सीमा से कहीं आगे बढ़कर लोक-लुभावन वादे करने लगी हैं, उसे किसी भी तरह से जनहित में नहीं कहा जा सकता। बेहिसाब लोक-लुभावन घोषणाएं और पूरे न हो सकने वाले आश्वासन पार्टियों को तात्कालिक लाभ तो जरूर पहुंचा सकते हैं, पर इससे देश के दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक हालात पर प्रतिकूल असर पड़ने की भी आशंका है।

प्रश्न है कि क्या सार्वजनिक संसाधन किसी को बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने चाहिए? क्या जनधन को चाहे जैसे खर्च करने का सरकारों को अधिकार है? तब, जब सरकारें आर्थिक रूप से आरामदेह स्थिति में न हों। यह प्रवृत्ति राजनीतिक लाभ से प्रेरित तो है ही, सांस्थानिक विफलता को भी ढकती है, और इसे किसी एक पार्टी या सरकार तक सीमित नहीं रखा जा सकता। अर्थव्यवस्था और राज्य की माली हालत को ताक पर रखकर फ्री में लुटाना मुफ्तखोरी की पराकाष्ठा है। विडम्बना एवं विसंगति की हदें पार हो रही हैं। ये मुफ्त एवं खैरात कोई भी पार्टी अपने फंड से नहीं देती। टैक्स दाताओं का पैसा इस्तेमाल करती है। हम 'नागरिक नहीं परजीवीह्न तैयार कर रहे हैं। देश का टैक्स दाता अल्पसंख्यक वर्ग मुफ्त खोर बहुसंख्यक समाज को कब तक पालेगा? यह कैसा समाज निर्मित कर रहे हैं? यह कैसी विसंगतिपूर्ण राजनीति है? राजनीति छोड़कर, गम्भीरता से चिंतन करने की जरूरत है।

वर्ष 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में महिलाओं को मेट्रो और डीटीसी बस में मुफ्त यात्रा के साथ-साथ बिजली-पानी-शिक्षा-चिकित्सा को लगभग मुफ्त उपलब्ध कराने की जो विसंगतिपूर्ण घोषणाएं की हैं, उसने अनेक सवाल खड़े कर दिये हैं। यह विसंगति इसलिये है कि दिल्ली सरकार एक तरफ तो कह रही है कि दिल्ली में विकास के लिए पैसा नहीं लेकिन मुफ्त की यात्रा के लिए 1300 करोड़ की सलाना सब्सिडी देने के लिए तैयार हो गई है। लोकतंत्र में इस तरह की बेतुकी एवं अतिश्योक्तिपूर्ण घोषणाएं एवं आश्वासन राजनीति को दूषित करते हैं। इस तरह खैरात में रेवड़िया बांटने या जनधन का दुरुपयोग करने से पात्रता हासिल नहीं हो सकती। लगता है कि राजनीतिक दल इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि लोक लुभावन राजनीति के कैसे दुष्परिणाम हो सकते हैं। वे सत्ता हासिल करने के लिए सामाजिक और आर्थिक हालात को एक ऐसी अंधेरी खाई की तरफ धकेल रहे हैं जहां से निकलना कठिन हो सकता है।

जनता को मुफ्तखोरी की लत से बचाने की जगह उसकी गिरफ्त में कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में लगे हैं। आज राजनीतिक परिपाटी में मुफ्त-खैरात की संस्कृति चुनाव जीतने का हथियार बन गया है। सच्चाई यह भी है कि ये कोरे मुफ्त वादे

जमीनी सतह पर उतरते भी कहां हैं, यह सिर्फ ठगने का माध्यम बनते हैं। किसानों के कर्ज माफी की बात की जाती है, लेकिन यह सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को उनकी पूंजी भी नसीब नहीं होती, फिर जरूरत किसानों को सबल बनाने की है, उन्हें निर्बल कर रौंदने की नहीं। मुफ्त एवं खैराती वादों के भरोसे सत्ता की चाबी तो हथियायी जा सकती है, लेकिन राष्ट्र प्रगति नहीं कर पायेगा और विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पायेगा। चुनाव आयोग को भी चुनावी घोषणा पत्र की निगरानी रखनी होगी और सत्ता में आने पर तय सीमा के भीतर वादों को पूरा करने का दबाव डालना होगा और निगरानी तंत्र विकसित करना होगा, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावी घोषणा पत्रों एवं मुफ्त के आश्वासनों का कुछ सफल अर्थ निकल कर सामने आ सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को घोषणा-पत्रों को मुफ्तखोरी का संस्कृति दस्तावेज बनाने की बजाय सामाजिक सुधार और पुनरुत्थान पर बल देना होगा।

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तय!

संवाददाता

▸▸ महाराष्ट्र में सरकार न बनने के बाद भी भाजपा की जीत

▸▸ शिवसेना की सीएम पद की जिद न मानना भी उपलब्धि

▸▸ शिवसेना को बड़ा भाई बनाने के मूड़ में नहीं है भाजपा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन तय है। हालांकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अभी थोड़ा इंतजार करने के मूड़ में है, इसलिए सरकार बनाने को लेकर अभी कवायद हो सकती है। लेकिन खास बात ये है कि महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम 15 दिन बीत चुके है, लेकिन सरकार गठन को लेकर भाजपा और शिवसेना में एकराय नहीं बन सकी है। जिससे भाजपा के लिए यह एक राजनीतिक झटके जैसा है, क्योंकि जो नतीजा आया था उसमें इसकी कल्पना भी नहीं थी कि सरकार अटक जाएगी। भाजपा और शिवसेना में दोषारोपण शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही दोनों दलों में यह आकलन भी शुरू हो गया है कि किसने खोया और किसने क्या पाया।

संख्या बल में लगभग आधा होने के बावजूद शिवसेना की ओर से की गई मुख्यमंत्री पद की जिद को नकारना भी एक उपलब्धि है। भविष्य में यह न केवल महाराष्ट्र, बल्कि दूसरे राज्यों में भी सहयोगी दलों के लिए संदेश है। भाजपा के अंदर कई नेता इसे जीत के रूप में भी देख रहे हैं। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो भाजपा वहां दोनों फॉर्मूले आजमा चुकी है। 2014 में शिवसेना से अलग होकर लड़ चुकी है और सरकार बना चुकी है। 2019 में साथ लड़कर उलझ चुकी है। पिछले छह-सात वर्षों में शिवसेना के साथ जिस तरह के रिश्ते रहे हैं उसमें यह भी साफ हो गया है कि इस दोस्ती में विश्वसनीयता और सम्मान जीरो है। ऐसे में महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम भी ये दोनों दल दिल से एक हो पाएंगे इसकी संभावना बहुत कम है।

ध्यान रहे कि लंबे अरसे तक शिवसेना महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में रही, जिसे 2014 और फिर 2019 में भाजपा ने ध्वस्त किया। मुख्यमंत्री पद हासिल कर शिवसेना फिर से बड़े भाई की भूमिका में आना चाहती थी जिसे भाजपा ने नकार दिया, लेकिन महाराष्ट्र से परे भी सहयोगी दलों के लिए संदेश है कि भाजपा अपनी हकमारी नहीं होने देगी। अभी कई राज्यों में राजग की सरकारें हैं। बिहार में तो खुद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने घोषित कर दिया है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले दिनों केंद्र में भागीदारी को लेकर सहयोगी दलों की ओर से तेवर दिखाए जाते रहे हैं।

सरकार गठन के अब क्या विकल्प

1- कोई एक झुके : शिवसेना-भाजपा में से कोई एक जिद छोड़े तो बनेगी गठबंधन सरकार।

2- अल्पमत सरकार : 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के 105 विधायक हैं। बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए। भाजपा निर्दलीय सहित अन्य 29 विधायकों को साथ कर ले तो संख्या 134 हो जाएगी। बहुमत परीक्षण के दौरान सदन से विरोधी दलों के 21 विधायक गैरहाजिर रहें तो संख्या 267 होगी और बहुमत का जरूरी आंकड़ा 134 हो जाएगा। हालांकि भाजपा ने इससे इनकार किया है।

3- शिवसेना में टूट : 56 विधायकों वाली शिवसेना के 45 विधायक टूटकर भाजपा का साथ दें तो संख्या दो-तिहाई से ज्यादा होगी। दल-बदल कानून लागू नहीं होगा। भाजपा की संख्या 150 हो जाएगी। हालांकि भाजपा ने इससे इनकार किया है।

4- नया गठबंधन : शिवसेना (56) एनसीपी (54) के साथ गठबंधन सरकार बनाए। कांग्रेस (44) बाहर से समर्थन दे। ऐसे में आंकड़ा 154 होगा।

नगरायुक्त और महापौर के बीच टकराव

▸▸ नगरायुक्त को हटाने के लिए सीएम को भेजा पत्र

▸▸ हितों की लड़ाई में धीमी पड़ी विकास की रफ्तार

▸▸ गदंगी से अट गया गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र

▸▸ स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग में पिछड़ने की आशंका

विशेष संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम क्षेत्र में महापौर आशा शर्मा और नगरायुक्त दिनेश चंद्र के हितों के टकराव के चलते एक और जहां विकास कार्यों की गति धीमी पड़ गई है। वहीं शहर गदंगी के अटा पड़ा है। हालत ये है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में गाजियाबाद के पिछड़ने का खतरा मंडराने लगा है। जिसका नतीजा ये है कि गाजियाबाद अपनी साख कायम रख पायेगा, इस पर भी संशय है। इस मामले में महापौर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर सात प्वाइंट को उजागर किया है। जिससे नगर निगम प्रशासन कटघरें में खड़ा हो गया है।

आपको बता दें कि पिछले काफी समय से महापौर आशा शर्मा और नगरायुक्त दिनेश चंद्र के बीच अघोषित ह्यकोल्ड वारह्न चल रही है। महापौर नगरायुक्त की कार्यशैली से काफी खफा है। इसके कई कारण है। लेकिन अब उनके बीच का तनाव अब जगजाहिर हो गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगरायुक्त अब महापौर के निशाने पर आ गए है। स्वच्छता सर्वेक्षण शुरू हो चुका है, लेकिन नगर निगम की तैयारी इस बार बेहद कमजोर हैं। महापौर आशा शर्मा ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजकर कहा है कि स्वच्छता की स्थिति गाजियाबाद में दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है।

रिहाइशी इलाकों पहले कूड़ा नजर नहीं आता था, अब ढेर लगे रहते हैं। अधिकांश नाले गंदगी से भरे हुए हैं और पार्षद भी इसकी लगातार शिकायत कर रहे हैं। नगर निगम ने पूर्व में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ियां लगाई थीं, अब यह गाड़ियां सप्ताह में एक या दो दिन ही कालोनियों में पहुंच रही हैं। महापौर ने कहा है कि गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग करने के नियमों का पालन भी नाम मात्र को हो रहा है। इस संबंध में नगरायुक्त को पत्र भेजे गए हैं, लेकिन उन पर कार्य नहीं हो रहा।

महापौर ने कड़ी आपत्ति जताते हुए लिखा है कि 8-9 माह में उन्होंने सुझाव और निर्देश पत्रों के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर पर दिए हैं, लेकिन इनमें से न तो किसी पत्र का अधिकारियों ने जवाब दिया और न ही कार्रवाई की। इस मामले पर पूर्व में कार्यकारिणी और बोर्ड बैठक में प्रस्ताव भी पारित हुआ था, 15 दिन में अधिकारियों को जवाब देना था, लेकिन नहीं दिया। सदन की गरिमा का भी सम्मान नहीं किया जा रहा है। शहर के विकास कार्यों की गति बेहद धीमी है और पार्षदों में रोष है। महापौर ने प्लास्टिक के नाम पर जुमार्ना करने की आड़ में व्यापारियों से अवैध उगाही किए जाने का आरोप भी अधिकारियों पर लगाया है। इससे व्यापारियों में भी रोष है।

नगरायुक्त को हटाने का अनुरोध

महापौर आशा शर्मा ने शहर की बदहाल स्थिति पर चिंता ही नहीं जताई है, बल्कि शहर की स्वच्छता रैंक बिगड़ने पर उसकी छवि बिगड़ने की भी चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि गाजियाबाद की दुर्दशा होने से बचाएं और नगर निगम में किसी अन्य सक्षम अधिकारी की तैनात की जाए। उन्होंने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन में गाजियाबाद के रैंक गिरने पर शहर की छवि खराब हो जाएगी। बीते साल गाजियाबाद नगर निगम स्वच्छता की परीक्षा में देश भर में 13वें नंबर और यूपी में नंबर-1 पर था।

शहर की दुर्दशा के लिए अफसर जिम्मेदार: मेयर

स्वच्छता के मामले में शहर की स्थिति बदतर होती जा रही है। अधिकारियों को सफाई और कार्यप्रणाली में सुधार के जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन नहीं हो रहा। जिसके लिए नगर निगम के अधिकारी जिम्मेदार है। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ-साथ नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन, गाजियाबाद के प्रभारी मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव को भी पत्र भेजकर स्थिति से अवगत कराया गया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक विनीतकांत पाराशर द्वारा भारद्वाज प्रिंटर्स, शॉप नं. 1, प्रिया सिनेमा मार्केट, मुरादनगर, गाजियाबाद से छपवाकर सैकेंड ए-288 नेहरूनगर, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से प्रकाशित किया। संपादक विनीतकांत पाराशर, RNI: UPHIN/2017/74151 प्रशासनिक कार्यालय : ए-288 नेहरूनगर द्वितीय, गाजियाबाद।